[illegible] वाले [illegible] दि० 10.9.18 को पेश

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

10.9.18 पत्रावली [illegible] हुई। [illegible] अन्तिम अवसर दिया गया पत्रावली दि० 18.10.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

18.10.18 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय टोर पर है। अतः पत्रावली वादी अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27.12.18 को पेश हो।

27.12.18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित। वादी द्वारा एक प्रा० प्र० प्रस्तुत या किया गया कि वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है इसी बात पर निर्णय करना चाहता है। प्रा० प्र० प्रस्तुत करने पर वादी को सुना गया प्रा० प्र० निर्णय पत्र को स्वीकार किया जाता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पक्षकार फैसले हुआ होकर अपने अपने खर्चे तथा वाद तकमीली कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। नियमानुसार आज दि० 27.12.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना